एक नजर

पर्वतीय जिलों में मौसम बदलेगा, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी के आसार

स्वतंत्र चेतना

देहरादून। उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में मौसम के मिजाज में आंशिक बदलाव और कहीं-कहीं वर्षा के साथ अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी की संभावना है। मंगलवार को मौसम विभाग के जारी बुलेटिन के अनुसार उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जनपदों में कहीं-कहीं हल्की वर्षा हो सकती है, जबकि तीन हजार मीटर से अधिक ऊँचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के आसार बने हुए हैं। राज्य के शेष जिलों में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। विभाग ने हरिद्वार और उधम सिंह नगर में घना कोहरा छाये रहने की चेतावनी भी जारी की है, जिससे सुबह और देर रात दृश्यता प्रभावित हो सकती है और आवागमन में कठिनाई हो सकती है। नागरिकों से अपील की गई है कि घने कोहरे के दौरान वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतें और अनावश्यक यात्रा से बचें। मौसम विभाग ने बताया कि प्रदेश में आसमान मुख्यतः साफ से आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। सुबह और देर रात ठंड में हल्की बढ़ोतरी महसूस की जा सकती है, जबकि दिन में धूप निकलने से तापमान में मामूली वृद्धि होगी। अधिकतम तापमान लगभग 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान करीब 10 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। पर्वतीय क्षेत्रों में जाने वाले यात्रियों और स्थानीय लोगों को मौसम की ताजा जानकारी लेने की सलाह दी गई है।

ट्रक खाई में गिरा, दो जवान घायल

स्वतंत्र चेतना

उत्तरकाशी। गंगोत्री हाईवे पर मल्ला के पास मंगलवार दोपहर एक बीआरओ (सीमा सड़क संगठन) का ट्रक अनियंत्रित होकर खाई में गिर गया। घटना में ट्रक में सवार दो लोग घायल हो गए। चौकी प्रभारी भटवाड़ी चडेथी, एस.आई. निखिल देव चौधरी ने बताया कि ट्रक दुर्घटना के बाद गंभीर स्थिति वाले चालक सतेंद्र असवाल (28) और अन्य यात्री जय राम सिंह (37) को एसडीआरएफ और पुलिस की टीम ने रेस्क्यू कर प्राथमिक उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा। सतेंद्र असवाल की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। मौके पर एसडीआरएफ और पुलिस के जवानों ने बचाव कार्य किया और घायल दोनों को सुरक्षित अस्पताल पहुंचाया। घटना की वजहों का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी गई है। यह दुर्घटना गंगोत्री हाईवे की दुर्गम व खड़ी भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सड़क सुरक्षा पर सवाल खड़ा करती है।

महापौर ने शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर का किया निरीक्षण

स्वतंत्र चेतना

देहरादून। देहरादून महापौर सौरभ थपलियाल ने नगर निगम परिसर स्थित शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर (डिस्पेंसरी) का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने ओपीडी रजिस्टर, उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाओं, दवाओं की व्यवस्था, साफ-सफाई और स्टाफ की कार्यप्रणाली का जायजा लिया। इस मौके पर महापौर ने कहा कि डिस्पेंसरी शहरवासियों को निःशुल्क और सुलभ प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने का महत्वपूर्ण माध्यम है। इसके अंतर्गत सामान्य बीमारियों का निःशुल्क उपचार, मुफ्त दवाइयां, ब्लड प्रेशर और शुगर की जांच, महिला एवं बाल स्वास्थ्य सेवाएं और टीकाकरण जैसी सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी सेवाएं नियमित और सुचारु रूप से चलें। महापौर ने कहा कि इस प्रकार की सुविधाओं से बड़े अस्पतालों पर दबाव कम होगा और नागरिकों को उनके घर के पास ही इलाज उपलब्ध होगा। निरीक्षण के दौरान स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और नगर निगम के कर्मचारी उपस्थित रहे।

बिना सर्वे स्ट्रीट वेंडर्स को हटाए जाने के मामले में हुई सुनवाई

स्वतंत्र चेतना

नैनीताल। उच्च न्यायालय ने बिना सर्वे स्ट्रीट वेंडर्स को हटाए जाने के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता एवं न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने याचिकाकर्ताओं से सरकार की ओर से पेश जवाब पर प्रति शपथपत्र पेश करने को कहा है। नेशनल हॉकर फेडरेशन सहित अन्य ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि उत्तराखंड में लगभग 10187 स्ट्रीट वेंडर्स हैं। सरकार ने स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट 2014 का पालन अभी तक नहीं किया है। एक्ट के अनुसार स्ट्रीट वेंडर्स के लिए एक निर्धारित जगह होगी। उसे संबंधित स्थानीय निकाय की ओर से लाइसेंस दिया जाएगा। उनको हटाने से पूर्व समाचार पत्रों में विज्ञप्ति जारी करनी होगी। जिस जगह पर स्ट्रीट वेंडर्स के लिए जगह निर्धारित होगी, वहां यह लोग अपने पास लाइसेंस, आधार कार्ड और राशनकार्ड रखेंगे। इससे आसानी से पहचान हो सके। याचिका में कहा कि उच्चतम न्यायालय ने 2014 में एक निर्णय देकर कहा था कि सभी राज्य अपने सभी स्ट्रीट वेंडर्स का चार माह के भीतर सर्वे कर एक स्ट्रीट टाउन वेंडर्स कमेटी का गठन करें।

कमेटी में स्थानीय निकाय के साथ ही पुलिस प्रसासन, व्यापार मंडल, जानकार लोग होंगे, लेकिन अभी तक न तो उत्तराखंड में इनका सर्वे हुआ और ना ही वेंडिंग जोन घोषित हुआ। इस वजह से आये दिन इन लोगों का सामान जब्त किया जा रहा है, जबकि उनको सामान जब्त करने व उसे तोड़ने का अधिकार नहीं है। एक्ट में जब्त खाने का सामान एक दिन में वह अन्य सामान तीन दिन के भीतर वापस करने का भी प्रविधान है।

विभागीय आपदा प्रबंधन योजना बनाने की डेडलाइन तय

स्वतंत्र चेतना

देहरादून। सेंडई फ्रेमवर्क (2015-2030) के लक्ष्यों की समयबद्ध प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन ने मंगलवार को राज्य के सभी रेखीय विभागों को अपने-अपने विभागीय आपदा प्रबंधन प्लान को 28 फरवरी तक अनिवार्य रूप से अंतिम रूप देने के निर्देश दिए।

उन्होंने स्पष्ट किया कि आपदा प्रबंधन योजनाएं केवल औपचारिक दस्तावेज न रहकर विभागीय कार्यप्रणाली का अभिन्न हिस्सा बननी चाहिए, ताकि आपदा के समय त्वरित, समन्वित और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने कहा कि आपदा प्रबंधन योजना में सेंडई फ्रेमवर्क के अंतर्गत आपदा जोखिम न्यूनीकरण, तैयारी, प्रतिक्रिया और पुनर्बहाली से जुड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सभी विभागों को अपने-अपने दायित्वों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना होगा। योजनाओं में यह स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए कि आपदा से पहले, आपदा के दौरान और आपदा के बाद विभाग की भूमिका क्या होगी तथा किस अधिकारी और इकाई द्वारा कौन-सा कार्य किया जाएगा। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र में आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान सचिव सुमन ने निर्देश दिए कि प्लान में विभागीय अधिकारियों, कर्मचारियों एवं आम जनमानस के क्षमता विकास को विशेष प्राथमिकता दी जाए। इसके लिए प्रत्येक विभाग वार्षिक प्रशिक्षण कैलेंडर तैयार करे, जिसमें यह स्पष्ट रूप से दशार्या जाए कि किस माह में कौन-सा प्रशिक्षण, अभ्यास या जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस वार्षिक कैलेंडर को विभागीय आपदा प्रबंधन प्लान का अनिवार्य भाग बनाया जाए, ताकि तैयारी एक सतत प्रक्रिया के रूप में चलती रहे।

उन्होंने सभी विभागों को अपने-अपने विभाग में उपलब्ध मानव संसाधनों, मशीनरी, उपकरणों एवं तकनीकी संसाधनों की विस्तृत सूची तैयार कर इन संसाधनों की जीआईएस आधारित मैपिंग करने व इसे प्लान में शामिल करने के निर्देश दिए ताकि आपदा के समय संसाधनों की त्वरित पहचान और उपयोग संभव हो सके। साथ ही भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए नए एवं अत्याधुनिक उपकरणों की खरीद की योजना को भी विभागीय प्लान में सम्मिलित करने के निर्देश दिए गए।

समीक्षा के दौरान विभागों ने आपात स्थिति में त्वरित कार्रवाई के लिए योजना, संकट के समय निर्णय एवं समन्वय की प्रक्रिया, सूचना एवं संचार की योजना, राहत एवं बचाव कार्यों की तैयारी, आपदा के बाद पुनर्बहाली एवं पुनर्निर्माण की व्यवस्था, प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली, भविष्य में होने वाले नुकसान को कम करने के उपाय, स्थानीय समुदाय की सहभागिता व नुकसान के आकलन और जोखिम मूल्यांकन से संबंधित व्यवस्थाओं के बारे जानकारी दी। सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन ने बताया कि विभागीय आपदा प्रबंधन प्लान विभाग को आपदा के समय स्पष्ट दिशा, तय जिम्मेदारी और पूर्व-निर्धारित कार्यप्रणाली उपलब्ध कराने में उपयोगी सिद्ध होगा।

उन्होंने बताया कि विभागीय आपदा प्रबंधन योजना के माध्यम से विभागीय संसाधनों का बेहतर उपयोग, अंतर-विभागीय समन्वय, त्वरित निर्णय प्रक्रिया तथा प्रभावी राहत एवं पुनर्वास सुनिश्चित किया जा सकता है। साथ ही यह योजना विकास कार्यों में आपदा जोखिम न्यूनीकरण को मुख्यधारा में लाने और बिल्ड बैक बेटर की अवधारणा को लागू करने में भी सहायक होगी। बैठक में स्वास्थ्य एवं शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा स्कूल आपदा प्रबंधन प्लान तथा हॉस्पिटल आपदा प्रबंधन प्लान के संबंध में भी जानकारी दी गई।

विभागों को मॉक ड्रिल कराने के निर्देश

सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन ने निर्देश दिए कि सभी विभाग नियमित रूप से आपदा के दौरान अपने-अपने विभाग से संबंधित कार्यों को लेकर मॉक अभ्यास आयोजित करें, जिससे आपदा के समय विभागीय मानव संसाधन, उपकरणों, संचार व्यवस्था एवं समन्वय क्षमता का वास्तविक परीक्षण हो सके। मॉक अभ्यास के दौरान सामने आने वाली कमियों को दूर किया जाए ताकि आपदा की स्थिति में प्रभावी रूप से राहत एवं बचाव कार्य संचालित किए जा सकें। बैठक में यूएसडीएमए के वित्त नियंत्रक अभिषेक कुमार आनंद, संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी मो. ओबैदुल्लाह अंसारी, डॉ पीडी माथुर, डॉ. बिमलेश जोशी, यूजेवीएनएल के ईई मनोज रावत, शहरी विकास के सहायक निदेशक विनोद कुमार, डिप्टी डायरेक्टर सोनिका पंत, पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक डॉ. सुनील कुमार अवस्थी, डॉ अशोक कुमार, शिक्षा विभाग से रचना रावत, विमल असवाल, राजेश लाम्बा, नवीन सिंघल, एसई पिटकुल बीएस पांगती के साथ ही विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

आधी-अधूरी तैयारियों पर अधिकारियों को लगाई फटकार

स्वतंत्र चेतना

देहरादून। सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक में कैबिनेट मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने अधिकारियों को आधी-अधूरी तैयारियों और देरी पर जमकर फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि भविष्य में ऐसी लापरवाही दोबारा नहीं होनी चाहिए।

मंगलवार को हुई बैठक में डॉ. रावत ने निर्देश दिए कि दून सहकारी बाजार और निबंधक कार्यालय का निर्माण कार्य तुरंत शुरू किया जाए। उन्होंने सहकारी संघोंझ्र उत्तराखंड सहकारी संघ (यूसीएफ), सहकारी रेशम संघ, राज्य भण्डार निगम और आवास एवं निर्माण सहकारी संघ में पेशेवर प्रबंधन के लिए प्रोफेशनल मैनेजिंग डायरेक्टर तैनात करने के प्रस्ताव शासन को भेजने के आदेश दिए। इसके अलावा अधिकारियों को कृषि समिति रायवाला, एग्लो-इण्डियन सोसायटी, बीएचईएल हरिद्वार गृह निर्माण समिति और श्रीनगर में विभागीय भूमि पर अवैध कब्जे और विवाद शीघ्र सुलझाने के निर्देश भी दिए। सहकारिता मंत्री ने अधिकारियों को चेतावनी दी कि अब से सभी बैठकों में पूरी तैयारी के साथ ही उपस्थिति आवश्यक होगी, ताकि विभागीय कामकाज में तेजी और पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके। बैठक में सहकारिता सचिव डॉ. इकबाल अहमद, निबंधक डॉ. मेहरबान सिंह बिष्ट सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

प्राथमिक विद्यालयों के पुर्ननिर्माण के लिए 568 लाख स्वीकृत

स्वतंत्र चेतना

देहरादून। उत्तराखण्ड सरकार ने प्रदेश के 16 जर्जर व क्षतिग्रस्त प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के पुनर्निर्माण के लिए कुल 568.85 लाख रुपये स्वीकृत किए हैं। इस योजना के तहत रूद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, टिहरी, चमोली और देहरादून जिलों के विद्यालयों के भवनों का निर्माण और मरम्मत कार्य शीघ्र पूरा किया जाएगा। विद्यालयों के पुनर्निर्माण में रूद्रप्रयाग के सुराड़ी, छतोड़ा, कमसाल, जसोली और सल्या विद्यालयों के लिए 32-32 लाख रुपये, पौड़ीखाल उच्च प्राथमिक विद्यालय के लिए 40.30 लाख रुपये, पिथौरागढ़ के लास्पासांई को 39 लाख, गैला 20.47 लाख, मल्ला वल्थी 20.30 लाख, टिहरी के तिखोन 34.86 लाख, सौन्दकोटी मल्ली 37.36 लाख, मंजूरीडागर 39.94 लाख और क्यारी-जमुण्डा उच्च प्राथमिक विद्यालय के लिए 29.59 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं। विद्यालयी शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने बताया कि निर्माण कार्य के लिए ग्रामीण निर्माण विभाग और पेयजल निगम को कार्यदायी संस्था नियुक्त किया गया है। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि निर्धारित समय में सभी निर्माण और मरम्मत कार्य पूर्ण कराए जाएं, ताकि छात्रों को बेहतर और सुरक्षित शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें।

दिव्य और भव्य रूप में आयोजित होगा हरिद्वार कुंभ मेला: रविंद्रपुरी

स्वतंत्र चेतना

हरिद्वार। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्रीमहंत रविंद्रपुरी महाराज ने कहा कि प्रयागराज की तर्ज पर हरिद्वार कुंभ मेला भी भव्य और दिव्य रूप में संपन्न होगा। कुंभ मेले के भव्य आयोजन के लिए अखाड़ा परिषद की और से भी तैयारियां की जा रही हैं।

उन्होंने यह बात कुंभ मेला अधिकारी श्रीमती सोनिका से कुंभ को लेकर चर्चा वार्ता के दौरान संतों की मौजूदगी में कही। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद एवं मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष श्रीमहंत रविंद्रपुरी महाराज एवं अखिल भारतीय उदासीन निर्मल परिषद के प्रभारी श्रीमहंत दुगार्दास महाराज के साथ से संतों ने कुंभ मेला अधिकारी सोनिका व अपर मेला अधिकारी दयानंद सरस्वती का शॉल ओढ़ाकर स्वागत किया। श्रीमहंत रविंद्रपुरी महाराज ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिशा निर्देशन में कुंभ मेला प्रशासन द्वारा कराए जा रहे निर्माण कार्यो का लाभ श्रद्धालुओं और संतों को मिलेगा। कुंभ मेले को सकुशल और भव्य रूप से संपन्न कराने में मेला प्रशासन की मुख्य भूमिका है। मेला अधिकारी सोनिका के प्रशासनिक अनुभव का लाभ कुंभ मेले के दौरान श्रद्धालुओं और अखाड़ों को मिलेगा। श्रीमहंत दुगार्दास महाराज ने कहा कि कुंभ मेला सनातन संस्कृति की पहचान है। हरिद्वार में होने वाले कुंभ मेले में गंगा तट पर होने वाले विशाल संत समागम से पूरे विश्व को आध्यात्मिक मार्गदर्शन मिलेगा। कुंभ मेला अधिकारी सोनिका सिंह ने कहा कि जल्द ही सभी अखाड़ों के साथ बैठकर कुंभ मेले के दौरान निर्माण कार्यो पर चर्चा की जाएगी। इस दौरान महंत रामनौमी दास, महंत राघवेंद्र दास, महंत गोविंददास, महंत सूर्यांश मुनि, महंत हनुमान दास, स्वामी राम मुनि, महंत प्रेमदास, महंत जयेंद्र मुनि भी मौजूद रहे।

NOTICE

THE GENERAL PUBLIC IS INFORMED THAT I HAVE CHANGED MY NAME FROM MEHTAB TO MEHTAB AHMAD AND IN FUTURE I SHOULD BE KNOWN AS MEHTAB AHMAD S/O RAEES AHMAD, ADDRESS : 102, RAMPUR, ROORKEE, HARIDWAR, UTTARAKHAND, PIN : 247667

सूचना

सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया किसी काम से बी०टी० गंज बाजार रूड़की जा रही थी जिसका मूल बैनामा रास्ते में कहीं गिरकर गुम हो गया है। बैनामा संख्या-15872 दिनांक-20-11-2013 है। काफी तलास के बाद बैनामा नहीं मिला। कोई अन्य व्यक्ति उसका दुर्पयोग न कर ले।

श्रीमती सलमा परवीन पत्नी श्री इरशाद अहमद निवासी 429 पश्चिमी अम्बर तालाब, रूड़की जिला हरिद्वार

एचएनबीजीयू कुलपति की नियुक्ति मामला, हाई कोर्ट ने यूजीसी से मांगा जवाब

स्वतंत्र चेतना

नैनीताल। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय (एचएनबीजीयू) श्रीनगर के कुलपति प्रो. श्रीप्रकाश सिंह की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता एवं न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने सुनवाई के बाद विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) को तीन सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए। मामले की अगली सुनवाई के लिए 11 मार्च की तिथि नियत की है। प्रो. नवीन प्रकाश नौटियाल ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर कहा था कि कुलपति की नियुक्ति गलत तरीके से की गई है। उनकी नियु?क्ति केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में शिक्षकों तथा अन्य अकादमिक स्टाफ की नियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हता व उच्च शिक्षा में मानकों के अ0नुरक्षण के उपाय) विनियम, 2018 के प्रविधान का उल्लंघन कर की गई है। याचिका में कहा कि यूजीसी विनियमों तथा विज्ञापन में निर्धारित स्वयं की पात्रता शर्तों का उल्लंघन कर प्रो. प्रकाश सिंह की कुलपति के रूप में नियुक्ति अवैध तरीके से की गई है।

कार्यालय नगर पालिका परिषद लक्सर जनपद हरिद्वार

पत्रांक : 1038/राज्य वित्त आयोग/2025-26 दिनांक : 06-02-2026

निविदा सूचना

नगर पालिका परिषद लक्सर जनपद-हरिद्वार द्वारा 15 वॉ वित्त आयोग से Tied Grant /राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत निकाय क्षेत्रान्तर्गत निम्न स्थानों में Ground Water Recharge/ जल संचयन स्थापित करने हेतु दिनांक 25/02/2026 को सायं 2.00 बजे तक शीलबन्द निविदा आमन्त्रित की जाती है, जो उसी दिन शाम 3.00 बजे उपस्थित निविदादाताओं की उपस्थित या उनके अधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थित में निविदा कमेटी द्वारा खोली जायेगी निविदा प्रपत्र दिनांक 24/02/2026 समय सायं 5.00 बजे तक क्रय किये जा सकते है। किसी एक निविदा अथवा समस्त निविदाओं को बिना कारण बताये स्वीकृत/अस्वीकृत/निरस्त करने का अधिकार अध्यक्ष निविदा कमेटी में निहित होगा।

क्र०	कार्य का नाम	लागत	जमानत राशि	निविदा प्रपत्र मूल्य	कार्य अवधि
1	Commercials Ground Water Recharge in K.V. Inter College Nager Palika Parishad Laksar	24.56	75000	2000+GST	03 माह
2	Commercials Ground Water Recharge in Korwali Laksar Nager Palika Parishad Laksar	24.72	75000	2000+GST	03 माह

निविदा शेष शर्तों कार्यालय से कार्यशील दिवस में जानी जा सकती है।

(मौ० कामिल)
अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद लक्सर

(संजीव कुमार)
अध्यक्ष
नगर पालिका परिषद लक्सर

एआई के सुरक्षित व जिम्मेदार उपयोग पर दिया गया जोर

स्वतंत्र चेतना

हरिद्वार। सेफर इंटरनेट दिवस के अवसर पर मंगलवार को विकास भवन सभागार में स्मार्ट टेक, सुरक्षित विकल्प-एआई के सुरक्षित और ज़िम्मेदार इस्तेमाल की खोज विषय पर एक जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का शुभारंभ मुख्य अतिथि मुख्य कोषाधिकारी अजय कुमार एवं जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी नलिनी ध्यानी द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। जिला सूचना विज्ञान अधिकारी यशपाल सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि कार्यशाला का उद्देश्य आमजन, विद्यार्थियों एवं सरकारी कर्मियों को सुरक्षित इंटरनेट उपयोग तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के सुरक्षित और जिम्मेदार प्रयोग के प्रति जागरूक करना रहा। उन्होंने कहा कि डिजिटल युग में इंटरनेट और एआई हमारी दैनिक जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुके हैं, ऐसे में इनका सुरक्षित एवं विवेकपूर्ण उपयोग अत्यंत आवश्यक है। कार्यशाला के दौरान जिला सूचना विज्ञान अधिकारी यशपाल सिंह द्वारा पीपीटी के माध्यम

सेफर इंटरनेट दिवस पर कार्यशाला आयोजित

से सुरक्षित इंटरनेट उपयोग, साइबर खतरों, ऑनलाइन धोखाधड़ी, पासवर्ड सुरक्षा एवं व्यक्तिगत जानकारी की गोपनीयता जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि इंटरनेट का असावधानीपूर्वक उपयोग व्यक्ति को आर्थिक, सामाजिक एवं मानसिक नुकसान पहुंचा सकता है। वक्ताओं ने अपने संबोधन में कहा कि एआई तकनीक वर्तमान समय में शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशासन, मीडिया एवं उद्योग सहित अनेक क्षेत्रों में क्रांतिकारी बदलाव ला रही है। हालांकि इसके साथ डेटा सुरक्षा, गोपनीयता, फेक कंटेंट, साइबर अपराध एवं नैतिक उपयोग जैसी चुनौतियां भी सामने आ रही हैं। ऐसे में एआई के उपयोग के दौरान सतर्कता और जिम्मेदारी बेहद जरूरी है। विशेषज्ञों ने बताया कि किसी भी जानकारी को साझा करने से पूर्व उसका सत्यापन करना, मजबूत पासवर्ड का प्रयोग, संदिग्ध लिंक से दूरी बनाए रखना तथा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सीमित और सोच-समझकर जानकारी साझा करना आवश्यक है। उन्होंने यह भी कहा कि एआई का प्रयोग मानव कल्याण, पारदर्शिता, सुशासन एवं सेवा वितरण को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से किया जाना चाहिए, न कि दुरुपयोग के लिए। कार्यशाला में जिले के विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी, विद्यालयों के अध्यापक, छात्र एवं छात्राएं बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। प्रतिभागियों ने कार्यशाला को ज्ञानवर्धक बताते हुए ऐसे कार्यक्रमों को नियमित रूप से आयोजित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। कार्यक्रम के अंत में सुरक्षित इंटरनेट उपयोग की शपथ भी दिलाई गई।

गुलदार तस्करी में आरोपी की जमानत खारिज

स्वतंत्र चेतना

नैनीताल। नैनीताल के जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रशांत जोशी ने गुलदार की खाल और हड्डियों की तस्करी के मामले में बागेश्वर जनपद निवासी आरोपित महेश कपकोटी की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। न्यायालय ने मामले को अत्यंत गंभीर प्रकृति का मानते हुए कहा कि यह अपराध वन्य जीव संरक्षण एवं पर्यावरणीय संतुलन पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला है। अभियोजन के अनुसार बीते माह 9 जनवरी 2026 को वन विभाग और पुलिस की एसटीएफ कुमाऊँ यूनिट की संयुक्त टीम ने मुखबिर की सूचना पर नैनीताल के पंगूट रोड स्थित पॉलिटेक्निक कॉलेज के पास कार्रवाई कर महेश कपकोटी पुत्र जसोद सिंह कपकोटी, निवासी सुलई देव, थाना कपकोट, जिला बागेश्वर को अभिरक्षा में लिया। आरोपित के पास मौजूद थैले से दो गुलदार की खालें और 4.350 किलोग्राम हड्डियां बरामद की गईं। पूछताछ में आरोपित ने स्वीकार किया कि वह यह सामग्री कपकोट से भुवन चंद्र जोशी से लेकर बेचने के उद्देश्य से लाया था और ग्राहक की प्रतीक्षा कर रहा था।

गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

GRIHUM HOUSING FINANCE — Apna Ghar, Apni Pehchan

रजिस्टर्ड ऑफिसः 6वीं मंज़िल, बी विंग, गंगा ट्रूनो, लोहेगांव, पुणे, महाराष्ट्र 411014
ब्रांच ऑफ यूनिटः दूसरी मंज़िल, खसरा नंबर 489 मीटर, 492/2 मीटर, 491 मीटर, 498 मीटर, गणेशपुर, मालवीय चौक, रुड़की, उत्तराखंड 247667

ई-ऑक्शन सेल नोटिस सरफेसी एक्ट के तहत सुरक्षित अचल संपत्ति की बिक्री

सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट, 2002 ("एक्ट") के तहत अचल एसेट्स की बिक्री के लिए ई-ऑक्शन सेल नोटिस, जिसे सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एनफोर्समेंट) रूल्स, 2002 के रूल 8 और 9 के साथ पढ़ा जाए। यहां आम जनता को खास तौर पर बॉरोअर/को-बॉरोअर/मॉर्गेजर/गारंटर को नोटिस दिया गया है कि नीचे बताई गई अचल प्रॉपर्टीज गृहस्वामी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (जिसे एक्ट के अनुसार "सिक्योर्ड क्रेडिटर" कहा जाएगा) के पास मॉर्गेज हैं, जिसका कब्जा सिक्योर्ड क्रेडिटर के ऑथराइज्ड ऑफिसर ने एक्ट के सेक्शन 13(12) के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, जिसे सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एनफोर्समेंट) रूल के रूल्स 8 और 9 के साथ पढ़ा जाए, एक्ट के सेक्शन 13(2) के तहत नोटिस के अनुसार ले लिया है। सिक्योर्ड एसेट्स को 27-02-2026 को ई-ऑक्शन के जरिए "जैसा है वैसा है", "जैसा है वैसा है", और "जो भी है वैसा है" के आधार पर बेचा जाएगा। आम जनता को सूचित किया जाता है कि हम वेबसाइट https://www.bankeauctions.com पर दिए गए ई-ऑक्शन प्लेटफॉर्म के जरिए पब्लिक ऑक्शन करने जा रहे हैं। बिक्री के डिटेल्ड T&Cs के लिए, कृपया GHFL/सिक्योर्ड क्रेडिटर की वेबसाइट यानी www.grihumhousing.com पर दिए गए लिंक को देखें।

प्रस्ताव संख्या ग्राहक का नाम {ए}	मांग सूचना दिनांक और उत्कृष्ट राशि {बी}	कब्जे की प्रकृति {सी}	विवरण संपत्ति का {डी}	संरक्षित कीमत {ई}	ईएमडी (10% आरपी के) {एफ}	ईएमडी जमा करने की तिथि {जी}	वृद्धिशील बोली {एच}	संपत्ति निरीक्षण दिनांक एवं समय {क}	दिनांक और का समय नीलामी {जे}	ज्ञात अतिक्रमण-प्रतिबंध/अज्ञात मामले यदि कोई हो {के}
लोन नंबर HL0066510000 0005020836 मनोज कुमार (उधारकर्ता) शिल्पा शर्मा (सह-उधारकर्ता)	नोटिस की तारीख: 08-08-2025 कुल बकाया: Rs. 2693989/- (Rs. छब्बीस लाख तिरानबे हजार नौ सौ नवासी रूपये मात्र) 08-08-2025 तक देना होगा, साथ में वसूली तक 12.85% सालाना ब्याज भी।	भौतिक	एक प्लॉट का वह पूरा टुकड़ा, जिसकी माप पूरब में 57 फीट, पश्चिम में 57 फीट, उत्तर में 41 फीट, दक्षिण में 41 फीट है, जिसका कुल एरिया 2337 Sq Feet या 217,193 Sq Meter है, जो खाता नंबर 43 खसरा नंबर 350/2 के हिस्से से जुड़ा है, वार्ड नंबर 6, गांव डंढेरा (अभी नगर पंचायत डंढेरा की सीमा में) परगना और तहसील रुड़की जिला हरिद्वार में है, इसकी सीमाएं नीचे दी गई हैं:-	रु. 2126671/- (रुपये इक्कीस लाख छब्बीस हजार छह सौ इकहत्तर सिर्फ)	रु. 212667.10/- (रुपये दो लाख बारह हजार छह सौ सड़सठ और दस पैसे सिर्फ)	26-02-2026 शाम 5 बजे से पहले	10,000/-	23-02-2026 (सुबह 11 बजे शाम 4 बजे)	27-02-2026 (सुबह 11 बजे दोपहर 2 बजे)	शून्य

जो बोली लगाने वाले हैं/खरीदार हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे सिक्योर्ड क्रेडिटर ब्रांच और ऑक्शन प्रॉपर्टीज पर जाएं, और अपनी जांच करें और एक्स्ट्रा चार्ज, बोझ और किसी भी थर्ड-पार्टी के हितों का पता लगाएं और बोली जमा करने से पहले सभी पहलुओं से खुद को संतुष्ट करें। प्रॉपर्टी टैक्स, बिजली/पानी के बकाया और प्रॉपर्टी से जुड़े कोई भी अन्य बकाया, अगर कोई हो, तो सफल बोली लगाने वाले को पता लगाना होगा और उसका भुगतान करना होगा। इच्छुक बोली लगाने वालों को पोर्टल पर खुद को रजिस्टर करना होगा और ऑक्शन सर्विस प्रोवाइडर C1 इंडिया PVT LTD से लॉगिन ID और पासवर्ड काफी पहले लेना होगा, जो ई-बिडिंग के लिए जरूरी है। पता- प्लॉट नंबर-68 तीसरी मंज़िल गुड़गांव हरियाणा-122003। हेल्पलाइन नंबर- 7291981124,25,26 सपोर्ट ईमेल आईडी Support@bankeauctions.com। कॉन्टैक्ट पर्सन विनोद चौहान, ईमेल आईडी- delhi@c1india.com कॉन्टैक्ट नंबर- 9813887931. कृपया ध्यान दें कि जो लोग बोली लगाना चाहते हैं, वे सिर्फ.उनसे ही ई-ऑक्शन पर ऑनलाइन ट्रेनिंग ले सकते हैं। जो खरीदार/बोली लगाना चाहते हैं, उन्हें अर्नेस्ट मनी डिपॉज़िट (EMD) की रकम NEFT/RTGS/DD के जरिए GRIHUM HOUSING FINANCE LIMITED - AUCTION PROCEEDS A/C", बैंक-ICICI BANK LTD. अकाउंट नंबर-091551000028 और IFSC कोड- ICIC0000915, IC